

6.4.1

461
09/04/22

स्थान सरकार

निदेशालय शिक्षण विभाग, राजस्थान जयपुर

क्रमांक-एक 6 (आई) (निरी)/149/2021-22/5042

जयपुर दिनांक 14-04-22

प्राचार्य,
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय राजगढ़,
अलवर

APC I
9/4/22

विषय- आपके कार्यालय के लेखों का आन्तरिक जीएच प्रतिवेदन संख्या 149/2021-22 जारी किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपके कार्यालय के लेखा वर्ष 2018-2021 की जीएच कर गठित प्रतिवेदन संख्या 149/2021-22 की एक प्रति आरको सूचनाएँ एवं इसमें दर्शाई गई कमियों एवं कुरियों के समाधान करने व इसमें दिने गये सुझावों की क्रियान्विति हेतु एतद द्वारा प्रेषित की जा रही है। आन्तरिक जीएच प्रतिवेदन में अंकित अनियमितताओं से सम्बन्धित अनुषंगों का सारांश निम्नवत है:-

विवरण	अनु संख्या	राशि
मसूदा शेष के समाधान में पाई गई अतिरिक्त राशि	1, 2, 3	6,889 00
वेतन विशेष वेतन बोनस समविध अवकाश एवं मानदेय के रूप में अनियमित/अधिक भुगतान	15, 21	4,099,350 00
घाटा भत्ता बिना में अनियमित / अधिक भुगतान	6	7,910 00
विक्रयता पुनर्भरण बिना में अनियमित / अधिक भुगतान	7	648 00
अनियमित रूप संबंधी प्रकरण	17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 34, 35	683,648 00
अकेराल प्रतिवेदनों में प्रकट वस्तुवी योग्य राशि	16	15,979,277 00
घाजाली द्वारा जमा राशि का कोषालय से निमान का अभाव	12	717,349 00
वित्तीय अनियमितता	25	1,000 00
बकाया उपवीक्षित प्रमाण पत्र	27	5,130,000 00
अहिम के समाधान का अभाव	29	341 00
अन्य	4, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 23, 32, 36, 37, 38, 39, 40	1,612,567 00
योग		28,268,977 00

प्रतिवेदन में अंकित वस्तुवी योग्य राशि का सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम भाग-1 के नियम 174 में प्रदत्त निर्देशानुसार वस्तुवी पत्रिका में अंकित करावे तथा इसकी वस्तुवी सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम भाग-1 में प्रदत्त निर्देशानुसार नियम 172 के अनुसार सम्बन्धित से कराया जाना सुनिश्चित कराने का धम करावे।

प्रतिवेदन की प्राप्ति के दिनांक से एक माह की अवधि में, अनुमतिना आपकी समीक्षा सहित इस कार्यालय